राजस्थान विश्वविद्यालय

क्रमांक: एफ–9 / सा.प्र. / 2021 / 45–139 दिनांक: 15/01/2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष / ईकाई प्रभारी, शैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि.,जयपुर ।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर ।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स / केन्द्र / केन्द्रीय पुस्तकालय / पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि.,जयपुर।
4. मुख्य आवासाधिकारी , छात्र / छात्रा / समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर ।

विषयः–शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु दिशानिर्देश।

महोदय / महोदया,

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2021 की अनुपालना में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र कमांकः–पे–13(7)शिक्षा–4 / 2014 पार्ट दिनांक 07.01.2021 एवं गृह विभाग द्वारा जारी आदेश एफ–7 1(2) ( )राछा / सान्याअति / 20 / 3913 दिनांकः–12 / 01 / 2021 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने एवं नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ करने हेतु संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों की पालना करते हुए शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने का श्रम करें ।

संलग्न :– उपरोक्त पत्रों की प्रतिलिपि

भवदीय,

15/01/2021

(के.एम. दूड़िया)
कुलसचिव

URGENT
DR
Pratap
08/01/2021

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3 (7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक: 07.01.2021

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, जयनारायाण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
16. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
17. कुलसचिवगण, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।

कुलसचिव कार्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय
पत्र क्रमांक 30
दिनांक 8.1.21
हस्ताक्षर
जयपुर-4

विषय : शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2021 की प्रति पालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में गृह विभाग के उपरोक्त आदेशानुसार नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
2. राज्य के सभी विश्वविद्यालयो/ उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी।

विश्वविद्यालय खोले जाने से पूर्व की जाने वाली व्यवस्था:-

1. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थानों खोलने से पहले संपूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोईघर, बाशरूम, कैन्टीन, प्रयोगशाला इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित/ Sanitizer कराया जावे।
2. कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहे यह सुनिश्चित किया जावें।
3. हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हो।
4. थर्मल स्केनिंग/कीटाणुनाशक/ Sanitizer/साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

5. विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थाए में आवागमन हेतु परिवहन के समस्त साधन सेनिटाईज हो।
6. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए के खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि विधार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठक की दूरी 6 फीट रखी जावें। स्टाफ रूम, कार्यालय एवं परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावें।
7. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए का यह दायित्व होगा कि वह विधार्थियों, अभिभावकों, स्टॉफ को कोरोना वायरस (कोविड–19) संबंधी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक करें।
8. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मास्क संबंधी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
9. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध हो।
10. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए को खोले जाने से पूर्व रिसेप्शन, पानी पीने के स्थान, हाथ धोने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (Marking circle) किया जावें। विश्वविद्यालय खोले जाने से पूर्व अभिभावकों की सहमति प्राप्त की जावें।
11. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए का यह दायित्व होगा वह पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ/नर्स एवं चिकित्सक की संपूर्ण अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
12. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि कोचिंग समय में कमी की जा सके।
13. एक कक्षा से दूसरी कक्षा के मध्य कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखा जाना चाहिए, ताकि दोनों बैंचों के छात्र एक साथ एकत्रित न हो सके।
14. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि एक कक्षा की समाप्ति उपरांत एवं दूसरी कक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित कक्षों को सेनेटाईज कराया जावे।

विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थानों के खोले जाने पर दिशा–निर्देशः–

1. मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे एवं विधार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो।
2. अध्ययन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "NO Mask No Entry" की पालना आवश्यक है।
3. सैनेटाईजेशन एवं तापमान की जांच करने के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित हो।
4. गार्ड कैबिन में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जावे एवं प्रत्येक शिफ्ट के गार्ड नियमित रूप से हाथ धोने/सेनेटाईजेशन का ध्यान रखें।
5. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज किया जावे।
6. प्रमुख द्वार पर किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नहीं की जावे।
7. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए में आने वाले सामान को बिना सेनेटाईजेशन के आने की अनुमति नहीं हो।
8. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।
9. यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी विद्यार्थी एवं फैकल्टी मेम्बर्स ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोऐं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें।
10. कोविड–19 दिशा–निर्देशो का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानो में कैमरों की व्यवस्था की जावे।

11. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने एवं उपयाग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगें।
12. विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षण संस्थान आवश्यक होने पर एम्बूलेन्स की व्यवस्था करवायेंगे।

कक्षाओं में अध्ययन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां:-

1. विद्यार्थियों की एंट्री व एक्जिट के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे।
2. कक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर जाने के समय सेनेटाईजर/साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावें।
3. विद्यार्थियों के चेहरों पर मास्क (NO Mask No Entry) व स्वयं पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।
5. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
6. कैंटीन स्टाफ एवं कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे।
7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क मे आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।
8. प्रतिदिन सभी छात्रों का तापमान मापने एवं सेनेटाईजेशन के उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।
9. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
10. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे।
11. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए में अध्ययन के दौरान किसी विद्यार्थी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती किया जावेगा, जिसका व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा।

विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित हॉस्टल में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाऐं:-

1. एक कमरे में एक विद्यार्थी के ही रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
1. जिन बडे कक्षों में एक से अधिक विद्यार्थियों के रूकने की व्यवस्था है, उनमें अस्थाई पार्टीशन की व्यवस्था कर सिंगल रूप में परिवर्तित किया जावे।
2. विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी संधारित की जावे।
3. हॉस्टल में उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता से लिया जावे जिनके स्थानीय निवास न हो एव ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था न हो।
4. प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिदिन स्क्रिनिंग सुनिश्चित की जावे।
5. बाहर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल पहुंचने पर प्रारम्भिक दिनों में अन्य छात्रों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जावे।
6. छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक मनोबल को सुदृढ़ करने हेतु संस्थान द्वारा काउंसलर की व्यवस्था की जावे।
7. विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण संस्थाए के स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के आगमन पर रोक लगाई जावे।
8. किसी भी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु पृथक हॉल/तल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

मैस व्यवस्था :–

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक छात्रावास में मैस व्यवस्था अनिवार्य हो, ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन नहीं मंगवाना पड़े।
2. मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
3. यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गंदा पानी एक जगह एकत्रित न हो।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावे।
5. खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से हाथ दस्तानें/मास्क का उपयोग करें।
6. विद्यार्थियों की मैस में एंट्री के समय अनिवार्य रूप से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित किया जावे।
7. सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8. कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे।
9. मैस में पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित की जावे।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त /उच्च शिक्षण संस्थाए/विद्यार्थी/स्टाफ उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तो का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय है। अतः सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, राजभवन जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा।
6. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)( )राछा/सान्याअवि/20/3913 जयपुर, दिनांक 12/1/2021

आदेश

गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 दिनांक 06.01.2021 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण में **विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में आवासरत/अध्ययनतरत विद्यार्थियों हेतु** दिनांक 18.01.2021 से छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार कोरोना गाईड लाईन के दिशा–निर्देशों के अनुसार दी जाती है:–

आवासीय परिसर/शैक्षणिक परिसर में रखी जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

1. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों को खोलने से पूर्व सम्पूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोई घर, बाशरूम, प्रयोगशाला, इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित कराया जावेगा।
3. कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहें यह सुनिश्चित किया जावेगा।
4. हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जावे।
5. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों हेतु कीटाणुनाशक/सेनेटाईजर/साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जावे।
6. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठने की दूरी 6 फीट रखी जावे। स्टाफ रूम, कार्यालय, परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावेंगी।
7. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के श्यन कक्ष में दो पलंग की बीच की दूरी 6 फीट होगी।
8. विभागीय जिलाधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक का यह दायित्व होगा, की वह विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्टाफ को कोरोना वायरस सम्बन्धी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारें में विस्तृत रूप से जागरूक करेंगे।
9. आवासीय परिसर में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मास्क सम्बन्धी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. आवासीय परिसर में स्वागत कक्ष, पानी पीने के स्थान, हाथ धोने के स्थान, खाना खाने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (मार्किंग सर्किल) किया जावेगा।
11. आवासीय परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। (नो मास्क, नो एन्ट्री की पालना आवश्यक होगी)
12. आवासीय परिसर में किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नही की जा सकेंगी।
13. आवासीय परिसर में आने वाले सामान को बिना सेनेटाईजेशन के आने की अनुमति नही होगी।
14. यह सुनिश्चित किया जावेगा, कि सभी विद्यार्थी ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है को छूने के उपरान्त साबुन व पानी से हाथ धोये एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जायेंगे।
15. आवासीय संस्थान में विद्यार्थी अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश नही करेंगे।
16. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय परिसर के मुख्य गेट से प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं कार्यरत स्टाफ के हाथ सेनेटाईज किये जाने के उपरान्त ही परिसर में प्रवेश हो सकेंगे।
17. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में कार्यरत चौकीदार भी नियमित रूप से हाथ धोने/सेनेटाईजेशन का ध्यान रखेंगे।

2

18. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी।
19. आवासीय परिसर में किसी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु पृथक हॉल/कक्ष की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>मैस व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–</u>

1. विद्यार्थियों को मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले खाने के बर्तनों को अन्य विद्यार्थियों से आदान–प्रदान नही कर सकेंगे।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावें। यह भी सुनिश्चित किया जावे की गन्दा पानी एक जगह एकत्रित न हों।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावें।
5. भोजन तैयार करने वाले रसोईया एवं खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से मास्क/हाथ दस्ताने का उपयोग करेंगे।
6. विद्यार्थियों की मैस में एन्ट्री के समय अनिवार्य रूप से साबुन से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे।
7. कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की अनिवार्यता पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)( )राछा/सान्याअवि/20/ 3914-27 जयपुर, दिनांक 12/01/2021

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एस.के.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त) ....।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
7. अतिरिक्त निदेशक (राईस) मुख्यावास।
8. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
11. प्राचार्य, आवासीय विद्यालय (राईस) ....(समस्त)।
12. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

12/01/2021

(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

C:\Users\Staff303\Downloads\Letter.docx 298

राजस्थान विश्वविद्यालय
University of Rajasthan

क्रमांक: एफ–9/सा.प्र./2021/145–239 दिनांक:–15.01.2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ईकाई प्रभारी, शैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि.,जयपुर ।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर ।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्र/केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि.,जयपुर।
4. मुख्य आवासाधिकारी , छात्र/छात्रा/समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण , राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
6. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी , उद्यान एवं नर्सरी , राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
8. समस्त चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक,होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक), विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
9. विश्वविद्यालय अभियंता, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
10. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि.,जयपुर ।

महोदय/महोदया,

गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पी.33(2) गृह–9/2019,दिनांक 06.01.2021 की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि कोविड–19 के प्रकरणों में कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के संबंध में लिये गये निर्णय की प्रतिलिपि आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है । साथ ही यह भी निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 के सन्दर्भ में पूर्व में भेजे गये पत्र व अन्य दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :– प्रतिलिपि

15/01/2021

(कजोड मल दूड़िया)
कुलसचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांकः 6/1/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1. दिनांक 11.01.2021 से मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति होगी।
2. राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय दिनांक 18.01.2021 से खोले जायेंगे। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी।

   नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
3. राज्य के सभी विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी।
4. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
5. कोचिंग संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी, जिसकी सभी कोचिंग संस्थानों को सख्ती से पालना करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सरकारी/निजी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए शिक्षण गतिविधियों को प्रारम्भ करेंगे।

सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह